निरीक्षण आख्या कार्यलय, जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) उधमसिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) उधमसिंह नगर के अवधि 06/2014 से 04/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 30.05.2016 से 09.06.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामप्रीत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.06.2014 से 03.07.2014 तक श्री राकेश कुमार, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 07/2012 से 05/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 06/2014 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

उक्त अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	सुश्री अनुलेखा बिष्ट	06.2014 से 05.08.2014
2	श्रीमती ललिता वर्मा	06.08.2014 से 31.10.15
3	डा0 अखिलेश मिश्रा	01.11.2015 से लगातार

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो–अ	भाग दो–ब	**STAN**
98/2007–08	1	1,2	–
54/2012–13	–	1,2	–
49/2014–15	–	1,2	1

(ब) सतत् अनियमिततायेंः – शून्य–

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): –शून्य–

(द) 2. बजटः – (धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत		सर्मपण/अवशेष	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2013–14	0	0	4448.70	4023.68	0	425.02
2014–15	0	0	4734.70	4643.87	0	90.83
2015–16	0	0	348.00	347.07	0	0.93
2016–17 (04/16तक)	0	0	0	0	0	0
योग	0	0	9531.40	9014.62	0	516.78

भाग 2 ब

प्रस्तर 1 :– ` 6.95 लाख का अनियमित भुगतान ।

राज्य सरकार द्वारा 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार, साक्षरता एवं अंकीय ज्ञान प्रदान करना, व्यावसायिक कौशल में सुधार इत्यादि हेतु किशारी शक्ति योजना लागू की गयी है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, (बाल विकास), रूद्रपुर, उधमसिंह नगर के योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इस योजना के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी उधम सिंह नगर को 10 परियोजनाओं हेतु (प्रत्येक परियोजना ` 1.10 लाख) कुल ` 11.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष पत्र सं0 सी–971/बजट–2961/2014–15 दिनांक 24.07.14 द्वारा ` 5.50 लाख तथा पत्र सं सी–4835/बजट–3791/2015–16 दिनांक 18.03.2016 द्वारा ` 5.50 लाख की धनराशि आबंटित की गयी। उक्त प्रशिक्षण के संचालन हेतु बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान जोकि भारत सरकार का उपक्रम है को जिलाधिकारी की बैठक में चयनित किया गया था। इकाई द्वारा कुल आबंटित धनराशि ` 11.00 लाख का भुगतान प्रशिक्षण संस्थान को दिनांक 10.11.2014 एवं दिनांक 19.03.16 को किया गया। जांच के दौरान परियोजना वार दिये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उसके सापेक्ष प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय का विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्रशिक्षण की तिथि	कुल स्वीकृत लागत	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्यय गयी राशि	इकाई द्वारा अधिक भुगतान भुगतान की गयी राशि
1	खटीमा	12.11.14 से 02.12.14	1.10 लाख	71981	38019
2	सितारगंज	15.11.14 से 05.12.14	1.10 लाख	72996	37004
3	रूद्रपुर ग्रामीण	20.11.14 से 10.12.14	1.10 लाख	59584	50416
4	रूद्रपुर शहर	20.11.14 से 10.12.14	1.10 लाख	59584	50416
5	गदरपुर	21.11.14 से 17.12.14	1.10 लाख	85010	24990
6	बाजपुर	15.11.14 से 05.12.14	1.10 लाख	67380	42620
		योग	6.60 लाख	416535	243465
7	काशीपुर ग्रामीण	15.11.14 से 05.12.14	1.10 लाख	विवरण अप्रस्तुत	
8	काशीपुर शहर	साक्ष्य अप्रस्तुत	1.10 लाख	विवरण अप्रस्तुत	
9	जसपुर ग्रामीण	15.11.14 से 12.12.14	1.10 लाख	विवरण अप्रस्तुत	
10	जसपुर शहर	15.11.14 से 12.12.14	1.10 लाख	विवरण अप्रस्तुत	
योग			4.40 लाख		4.40 लाख

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 06 परियोजनाओं में प्रस्तुत व्यय विवरण के सापेक्ष ` 43 लाख का अधिक भुगतान किया गया तथा 04 परियोजनाओं में किये गये व्यय का विवरण प्रस्तुत न करने पर भी इकाई द्वारा ` 1.10 लाख की दर से कुल ` 4.40 लाख का भुगतान किया गया है। साथ ही प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 06 परियोजनाओं में प्रस्तुत व्यय विवरणी के अनुसार ` 12,658 का व्यय मेहमानों के चाय एवं नाश्ते पर किया गया जबकि अनुमोदित कार्य योजना में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार इकाई द्वारा प्रशिक्षण संस्थान को कुल ` 6.95 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कोई अनुश्रवण नहीं किया गया एवं ना ही कोई रिपोर्ट प्राप्त की गयी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुए उत्तर में बताया गया कि प्रशिक्षण संस्थान से पत्राचार कर व्यय विवरण प्राप्त किया जायेगा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण के सम्बन्ध में बताया गया कि विभाग द्वारा भ्रमण तो किया जाता है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अतः योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थान को ` 6.95 लाख का अनियमित भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2 :– आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के कुल ` 113.50 लाख की राशि के अपूर्ण कार्य।

निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या सी–3615/आ0बा0भ0–448–5/2014–15 दिनांक 23 फरवरी 2015 के द्वारा कुल 97 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण एवं 10 पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण हेतु प्रति भवन क्रमशः ` 4.50 लाख एवं ` 1.00 लाख की दर से ` 446.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति आदेश में ग्राम पंचायतों को कार्यदायी संस्था निर्धारित किया गया है। यह भी निर्देशित है कि जिलाधिकारी स्तर पर गठित समिति प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर निर्माण कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह समय पर बैठक का आयोजन करे एवं समिति के समक्ष आवश्यक सूचनायें संज्ञान में लाये। आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण एवं समय सीमा में ही हो इसके लिए सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि लेखा परीक्षा की तिथि तक 97 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के सापेक्ष 72 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। अतः 25 भवन जिसकी कुल लागत ` 112.50 ( ` 4.50X25) है अपूर्ण है एवं उच्चीकरण हेतु स्वीकृत 10 भवनों में से 09 भवनों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 01 भवन जिसकी लागत ` 1.00 लाख है, अपूर्ण है। इस प्रकार लेखा परीक्षा की तिथि तक कुल ` 113.50 लाख के कार्य अपूर्ण है। पुनः जांच में यह भी पाया गया कि इस कार्य के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की प्रत्येक माह बैठक नहीं की जा रही थी एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में कोई भी रिपोर्ट अभिलेखों में नहीं पायी गयी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुए बताया गया कि निर्माण एजेन्सी सम्बन्धित ग्राम पंचायतें हैं। कार्य पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी से पत्राचार किया जायेगा।

अतः आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के कुल ` 113.50 लाख की राशि के अपूर्ण कार्यों का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 3 :– ` 54.17 लाख की ब्याज की राशि को बैंक खातों में अवरूद्ध रखना एवं ` 1.73 लाख की ब्याज राशि को गलत लेखाशीर्ष में जमा किया जाना।

मुख्य एवं लघु लेखाशीर्ष की पुस्तिका के अनुसार समस्त ब्याज प्राप्तियां लेखाशीर्ष 0049 में जमा किया जाना चाहिये (यदि किसी अन्य मद में इसे व्यय किया जाना हो तो वित्त विभाग के पृथक से शासनादेश उपलब्ध होने चाहिये।) उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं0 99/xxvii(14) 2009 dated 03.12.09 के द्वारा भी ब्याज की धनराशि को तत्काल 0049 लेखाशीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए था।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार ब्याज की धनराशि बैंक खातों में अवशेष पड़ी है।

क्र0सं0	पद नाम	बैंक में ब्याज की धनराशि
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	4,11,812
2	बाल विकास परियोजना, काशीपुर ग्रामीण माता समितियों के खाते में	69,801 3,98,297
3	बाल विकास परियोजना, काशीपुर शहर माता समितियों के खाते में	97,335 10,09,931
4	बाल विकास परियोजना, जसपुर शहर माता समितियों के खाते में	40,094 2,93,328
5	बाल विकास परियोजना, जसपुर ग्रामीण माता समितियों के खाते में	1,70,778 4,59,090
6	बाल विकास परियोजना, खटीमा माता समितियों के खाते में	1,73,434 1,04,778

7	बाल विकास परियोजना, सितारगंज माता समितियों के खाते में	4,22,245
8	बाल विकास परियोजना, रूद्रपुर ग्रामीण माता समितियों के खाते में	5,70,179
8	बाल विकास परियोजना, रूद्रपुर शहर माता समितियों के खाते में	4,06,464
10	बाल विकास परियोजना, गदरपुर माता समितियों के खाते में	3,63,685
11	बाल विकास परियोजना, बाजपुर	4,26,195
योग		54,17,446

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि ` 1,73,434 की ब्याज धनराशि को गलत लेखाशीर्ष 0235 में जमा किया गया है जबकि उसे लेखाशीर्ष 0049 में जमा किया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुए बताया गया कि लेखा परीक्षा की आपत्तियों पर अनुपालन कर कार्यवाही की जायेगी।

अतः ` 54.17 लाख की ब्याज की राशि को बैंक खातों में अवरूद्ध रखना एवं ` 1.73 लाख की ब्याज राशि को गलत लेखाशीर्ष में जमा किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 4 : **` 0.33 लाख की धनराशि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान किया जाना।**

उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या/41xxii (7) सी.भर्ती/2009 दिनांक 13/फरवरी 2009 के अनुसार वेतन ग्रेड–1 (` 5200–20200) में पांच ग्रेड वेतन को रखा गया है 1800+5200, (7000) दूसरा 1900+5830 (7730) तीसरा 2000+6460 (8460) चौथा 2400+7510 (9910) पांचवा 2800+8560 (11.360) श्री बसन्त प्रसाद (अनुसेवक) की सेवा की जांच पर यह पाया गया कि द्वितीय वित्तीय तरोन्नयन के लाभ के रूप में दिनांक 01.11.2013 को वेतन 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 ग्रेड वेतन ` 2400 के स्थान पर ग्रेड वेतन ` 2800 पर वेतन निर्धारण कर दिया गया किस के कारण माह 11/2013 से माह 05/2016 तक ` 33057 धनराशि वेतन के रूप में अधिक दिया गया जिसका विवरण संलग्न है। लेखापरीक्षा दल ने इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया की प्रकरण नियमानुसार जांचोपरान्त कार्यवाही कर सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है। वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण किया गया है। इसे पूर्व में ही जांच कर वसूली कर लिया जाना चाहिए।

अतः प्रकरण ` 0.33 लाख की वसूली का उच्चाधिकारियों को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास), ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)